2013/00035

फर्द अहकाम

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर

रामू बनाम जगदीश

मुकदमा संख्या /वर्ष : 138 /2016

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		5/10/21 राजस्थान सरकार राजस्व (भू-प्रबन्ध) विभाग के आदेश क्रमांक [illegible] 2021 दिनांक 03.09.2021 [illegible] आवली प्रशासन [illegible] 2021 में कैम्प [illegible] मनोहरपुरा में दिनांक 30/11/2021 को पेश हो। पक्षकारों को कैम्प नोटिस जारी हो।	
	30/11/21	[illegible] के संबंध में [illegible] मनोहरपुरा में पेश हुई। पक्षकारों में कोई विवाद [illegible] होने से [illegible] पत्रावली हेतु पत्रावली दिनांक 25/01/2022 को पेश हो।	
	25/01/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 08/03/22 को पेश हो।	
	8/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं है तथा प्रतिवादी स्वयं उपस्थित है [illegible] आवाजें [illegible] परन्तु ना तो वादी स्वयं उपस्थित ना ही उनकी ओर से कोई वकील आदि उपस्थित है। अतः वादी का वाद उदासीन होकर पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती से की जाकर वाद नस्ती किया जाता है।	